कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : राजस्व / 25 / 7

दिनांक :– 6-1-2026

आदेश

प्रार्थीगण. शरणप्रीत सरा पुत्र नरेन्द्र सिह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक ए–2 / डी / खा–रा / बा–नह / भू.अ. / 4478 दिनांक 17.11.2025 द्वारा चक 10 एएमपीं के प.न. 150 / 165 मु.न. 54 किला न. 17,18,19 / 0.759 है. 20 / 1 / 0.127 / 0.886 है., प.न. 150 / 165 मु.न. 54 किला नं. 20 / 1 / 0.126, 21,22,23,24,25 / 1.265 है., प.न. 151 / 165 मु.न. 53 किला नं. 21,22 / 0.506 है. रकबा कमाण्ड होने पर राजस्व रिकार्ड में बरानी से नहरी दर्ज किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट भिजवाई।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक तकनीकी / 2025 / टी–4 / 2107 दिनांक 28.08.2025 द्वारा चक 10 एएमपी प.न. 150 / 165 किला न. 1 ता 14, 17 ता 25 मे से रास्ता,खाला,सड़क, नहर एवं गैर मुमकिन इत्यादि की कटौती नही की जानी बतलाते हुए उक्त रकबा कमाण्ड होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि भाखडा परियोजना सरकारी भूमि आंवटन एवं बिक्री नियम 1955 के उपनियम 17(3) के अनुसार अगर कोई अन्तर राशि बकाया हो, तो जमा करवाकर तथा उक्त प्रश्नगत रकबा मे से यदि रास्ता, खाला, सड़क, नहर एवं गै.मु. इत्यादि की कटौती की जानी हो तो उसकी कटौती कर शेष प्रश्नगत रकबा को राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रमांकः–सम / 8

दिनांक :– 6-1-2026

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार भू–अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. प्रार्थीगण...।
4. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया